

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रं./एफ-349/1/सा.प्र.वि./2024/1557

भिलाई, दिनांक 11/2/24

//आदेश//

श्री सैय्यद शहबाज रिजवी पिता स्व0 मोहम्मद मुस्लिम, सामुदायिक संगठक की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 15.02.2024 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलमूल नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 29.02.2024 अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अपर आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई

पृ.क्र./एफ-349/1/सा.प्र.वि./2024/1558  
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 11/2/24

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता 1/2/3/4/5, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. प्रभारी अधिकारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. अधीक्षक सामान्य प्रशासन विभाग, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. पेंशन लिपिक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
12. श्री सैय्यद शहबाज रिजवी पिता स्व0 मोहम्मद मुस्लिम, सामुदायिक संगठक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
भिलाई